REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16082024-256408 CG-DL-E-16082024-256408

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3101]नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 12, 2024/श्रावण 21, 1946No. 3101]NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 12, 2024/SHRAVANA 21, 1946

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2024

का.आ. 3255(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण में 9 मार्च, 2020 को प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1022(अ) दिनांकित 9 मार्च, 2020 और 6 अगस्त, 2020 को भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना सं. का. आ. 2644(अ) दिनांकित 6 अगस्त, 2020, को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है।

[फा. सं. एनएच-14013/3/2024-पी एंड एम]

अभय जैन. निदेशक

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2024

**S.O. 3255(E).**— In exercise of powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 1022 (E), dated the 9th March, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 9th March, 2020 and S.O. 2644 (E), dated the 6th August, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 6th August, 2020 with immediate effect.

[F.No. NH-14013/3/2024-P&M]

ABHAY JAIN, Director

5091 GI/2024

2

## अधिसूचना

## नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2024

**का.आ. 3256(अ)**.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम,**1988** (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. **1667**(अ), दिनांकित 26 मई, 2020 में एतदद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रमश: कॉलम सं. (1), **(**2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा:-

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	खंड	खंड किमी में
(1)	(2)	(3)
रारा-15 (नया रारा-07)	भटिंडा – मलौट	किमी 291.900 से किमी 330.500

[फा. सं. एनएच-14013/3/2024-पी एंड एम]

अभय जैन. निदेशक

## NOTIFICATION

#### New Delhi, the 12th August, 2024

**S.O. 3256(E).**— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.1667 (E), dated the 26<sup>th</sup> May, 2020, namely:-

In the Table to the said notification, the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted:-

National Highway number	Section	Stretch in kilometres
(1)	(2)	(3)
NH-15 (New NH-07)	Bhatinda – Malout	Km. 291.900 to Km. 330.500

[F.No. NH-14013/3/2024-P&M]

ABHAY JAIN, Director

## अधिसूचना

# नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2024

का.आ. 3257(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम,1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1667(अ), दिनांकित 26 मई, 2020 में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातु:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रमश: कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियों के लिए:-

	•			
ſ	रारा-15		मलौट – अबोहर - साधुवाली	किमी 330.500 से किमी 399.250
	(नया रारा-07 और रारा	г-62)		
	क्रमश: कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी:-			
	नया रारा-62		अबोहर - साधुवाली	किमी 0.000 से किमी 33.000

[फा. सं. एनएच-14013/3/2024-पी एंड एम]

अभय जैन, निदेशक

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2024

S.O. 3257(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.1667 (E), dated the 26th May, 2020, namely:-

In the Table to the said notification, for the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively:-

NH-15 (New NH-07 & NH-62)	Malout- Abohar- Sadhuwali	Km. 330.500 to Km. 399.250	
the following entries under columns number (1), (2) and (3) respectively, shall be substituted:-			

New NH-62	Abohar- Sadhuwali	Km. 0.000 to Km. 33.000

[F.No. NH-14013/3/2024-P&M] ABHAY JAIN, Director

**अधिसूचना** नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2024

का.आ. 3258(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुरूपी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामत:-

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संक्रम	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड	चैनेज
सख्या (1)	(2)	(3)
7	फाजिल्का – अबोहर – मलौट – भटिंडा – बरनाला – संगरूर – पटियाला – जिरकपुर	किमी 20.500 से किमी 344.170
	(पंजाब राज्य में)	

[फा. सं. एनएच-14013/3/2024-पी एंड एम]

अभय जैन, निदेशक

#### NOTIFICATION

#### New Delhi, the 12th August, 2024

S.O. 3258(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

Table

National Highways No.	Section of National Highways	Chainage
(1)	(2)	(3)
	Fazilka- Abohar- Malout- Bathinda- Barnala - Sangrur-	Km. 20.500 to Km.
7	Patiala- Zirakpur	
	(In the State of Punjab)	344.170

[F.No. NH-14013/3/2024-P&M]

ABHAY JAIN, Director

## अधिसूचना

## नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2024

का.आ. 3259(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 1096 (अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 20 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"20	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 [किमी 0.00 से किमी 156.265 (बाघा सीमा – अमृतसर – जालंधर	पंजाब
	कैंट – होशियारपुर) तक खंड को छोड़कर], सं. 07 [किमी 20.500 से किमी 344.170	राज्य
	(फाजिल्का – अबोहर – मलौट – भटिंडा – बरनाला – संगरूर – पटियाला – जिरकपुर) तक	सरकार" ।
	खंड को छोड़कर], सं. 148बी, सं. 154, सं. 154ए, सं. 254, सं. 354 [किमी 0.00 से किमी	
	165.610 (गुरदासपुर – डेरा बाबा नानक – रामदास – अमृतसर – भिखीविंड - अमरकोट)	
	तक खंड को छोड़कर], सं. 354ई, सं. 503वि., सं. 703 [किमी 12.00 से किमी 149.00	
	(लांब्रा – शाहकोट – मोगा – बरनाला खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 703ए, सं. 703बी, सं.	
	754 और रारा सं. 703एए के उतने भाग जो पंजाब राज्य में अवस्थित हैं।	

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसे पिछली बार अधिसूचना सं.का.आ. **2492**(अ), दिनांकित **2**8 जून, 20**24** द्वारा संशोधित किया गया था।

[फा. सं. एनएच-14013/3/2024-पी एंड एम]

अभय जैन, निदेशक

### NOTIFICATION

#### New Delhi, the 12th August, 2024

**S.O. 3259(E).**— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 20 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Table

#### [भाग II—खण्ड 3(ii)]

(1)	(2)	(3)
"20	So much of National Highways No. 3 [excluding from Km. 0.00 to Km. 156.265	State
	(Wagah Border- Amritsar- Jalandhar Cantt Hoshiarpur)], No. 07 [excluding from	Government
	Km. 20.500 to Km. 344.170 (Fazilka- Abohar- Malout- Bathinda- Barnala-	Government
	Sangrur- Patiala-Zirakpur)], No. 148B, No. 154, No. 154A, No. 254, No. 354	of Punjab"
	[excluding from Km. 0.00 to Km. 165.610 (Gurdaspur- Dera Baba Nanak- Ramdas-	
	Amritsar- Bhikhiwind-Amarkot)], No. 354E, No. 503 Extn., No. 703 [excluding from	
	Km. 12.00 to Km. 149.00 (Lambra-Shahkot- Moga- Barnala section)], No. 703A, No.	
	703B, No. 754 and NH No. 703AA as are situated within the State of Punjab.	

[F.No. NH-14013/3/2024-P&M]

## ABHAY JAIN, Director

**Note:** - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005 and was last amended vide number S.O. 2492 (E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2024.